न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

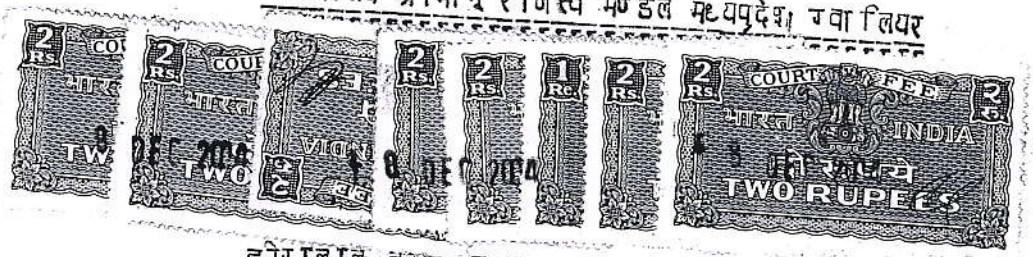

c-694151-02

हीरालाल तनय हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---------- आवेदक

बनाम

R-1628-I/2004

विमला प्रसाद तनय श्री हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---- अनावेदक

श्री जगदीशसिंह बघेल - एडवोकेट द्वारा आज दि० 9/12/04 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

9 DEC 2004

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अतिरिक्त कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 बावत् प्रकरण क्रमांक 448 अपील /03-04 आदेश दिनांक 8-7-04

अन्तर्गत आदेश /धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

9.12.04

§1§ यह कि अधीनस्थ अपर आयुक्त का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

§2§ यह कि प्रकरण में अपर आयुक्त महोदय, ने आवेदक को सुनवाई किये बगैर ही पीठ -पीछे आदेश देकर धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन-पत्र मान्य करने में कानूनी अहम भूल की है, जबकि विधित: आवेदक को सुनवाई किया जाना प्राकृतिक नियमों के तहत आवश्यक था।

§3§ यह कि धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन में विलम्ब उचित एवं पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये गये थे, तथा प्रत्येक दिन का विलम्ब का आवेदन में नकल मिलने के बाद तक का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, जिससे विलम्ब के प्रत्येक दिन

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1628–एक/04 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.2.14 समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह बघेल एवं आवेदक श्री हीरालाल तनय श्री हनुमान प्रसाद निवासी पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
समय दोपहर 3.00 बजें	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह बघेल एवं आवेदक श्री हीरालाल तनय श्री हनुमान प्रसाद निवासी पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह बघेल एवं आवेदक श्री हीरालाल तनय श्री हनुमान प्रसाद निवासी पुरैना तहसील हुजूर जिला रीवा को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (अशोक शिवहरे) सदस्य	